छुटटी की अर्जी का कार्य

एस0आर0—1

FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

S.R.-1

		TOTAL OF THE LEGISLATION OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF T
		(अनुपूरक नियम 216 देखिये) (See Supplementary Rule 216)
ਟਿ	प्पणी	–पद्ध सं0 1 से 11 प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित।
No	ote-	Items 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.
	1.	प्रार्थी का नाम / Name of applicant
	2.	लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
		Leave rule applicable
	3.	पद / Post held
	4.	विभाग, कार्यालय और अनुभाग
		Department, Office, and Section
*		वेतन/Pay
	6.	वर्तमान पदं पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते।
		House rent allowance, conveyance allowance or
other compensatory allowances drawn in the present		other compensatory allowances drawn in the present post.
	7.	माँगी गई छुट्टी की किस्म, अविध और उसके शुरू होने का तारीख/
		Nature and Period of leave applied for and date from which required.
	8.	रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो, जिन्हें छुट्टी से पहले/
		बाद में जोड़ना चाहते है।
		Sundays and holidays, if any proposed to be prefixed/
	0	suffixed to leave.
	9.	छुट्टी का कारण
	10	Ground on which leave is applied for पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म
	10.	तथा अवधि।
		Date of return from last leave and the nature and
		period of that leave.
	11.	मेरा विचार आगामी छुट्टी में के खण्ड वर्षी के लिए छुटटी यात्रा की कैफियत लेने
		का है / नहीं है / I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession in the
		block years during the ensuing leave.
	12.	(क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुटटी / परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे
		औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी से मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो छुट्टी
		की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत होने की स्थिति में मूल नियम 81 (ख) (ii) / संशोधित
		छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम 11 (ग) (iii) के लागु न होने पर अनुमत्य न होती।
		(a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on
		average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average
		pay/half pay leave /which would not have been admissible had the provisio to
		F.R.81 (b) (ii) rule-II (c) (iii) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied in
		the event of my retirement from service at the end or during the currency of the
		leave.

- 12. (ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत होने या सेवा से त्याग—पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सका जितनी अग्रिम छुट्टी मैनें ली है तो अग्रिम छुट्टी के दौरान जो मूल नियम 81 (ग) / संशोधित छुट्टी नियमावली, 1933 के नियम II (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाती, मिले छुट्टी के वेतन को वापस कर दूंगा।
 - (b) I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible and F.R.81 (c) rule-II (d) of the Revised Leave Rules, 1933 not been applied, in the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारिख		प्रार्थी के हस्ताक्षर	
Date		Signature of applicant	P.
13.	नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश Remarks and / or recommendation of the C	ontrolling Officer.	
तारिख Date		हस्ताक्षर/ Signature पदनाम/ Designation	
	स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश:- Orders of the sanctioning authority:-		
तारिख Date		हस्ताक्षर / Signature पदनाम / Designation	

- ❖ यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुटटी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जंहा इसी प्राकर का भत्ता मिलता हो।
- If the applicant is drawing any Compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to same post or to another post carrying a similar allowance.